Issue of letters of intent for interconnect telephone services

2779. SHRI PARAGE CHALIHA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Letters of Intent for providing interconnect/basic telephone services have been issued;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the conditions of the agreement have been accepted by the private operators;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(e) the details of action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) and (b) The Letters of Intent of Ten Telecom Circles have been issued to Seven successful Indian Registered companies which participated in the tendering processes.

(c) and (d) Five Letter of Intent holding companies, having accepted the LOIs, have also accepted the Agreement document subject to resolution of certain specific issues which they feel, are not yet addressed to their satisfaction viz, port charges, advance deposit, settlement of billing disputes.

(e) The Government is making efforts to finalise the agreement.

Monitoring of water-flow of the river Godavari

2780. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Water Commission has been monitoring water-flow in river Godavari at Polavanam in Andhra Pradesh;

(b) if so, the surplus water flowed during 15th June, 1995 to 15th December, 1996; and

(c) the details of surplus water flowed on the river Godavari in 1995-96?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) the quantum of water observed at Polavaram site on river Godavari for the period from 15.6.1995 to 15.12.1996 is 1,39,764 Million Cubic Meters (M. Cu. Mtrs.).

The annual flow observed at Polavaram during the water year 1995-96 is 86, 960 M. Cu. Mtrs.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार

2781. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और महानगर टेलीफोन निगम लि॰ के सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के संबंध में कितने छापे मारे हैं और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) उनमें से कितने अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध किये गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा एम टी एन एल, दिल्ली तथा मुंबई के सतर्कता विभाग द्वारा जनवरी, 96 से नवम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान 12 छापे मारे गए हैं। इन मामलों में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) इन व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामलों पर अभी जांच की जा रही है। ऐसे अधिकारियों की संख्या और दोषी पाए गए कर्मचारी अथवा जिनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं अथवा उन्हें दी गई सजा के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

विवरण

क्र०सं० नाम तथा पदनाम

सर्व श्री,

1. चरण सिंह, पी आई
2. जगपाल सिंह, फोन मेकेनिक
3. अजय कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक
4. आर एस मेहता, एस एस
5. डी पी शर्मा, फोन मेकेनिक
6. वी०पी० शर्मा, डब्ल्यू/एम
7. जय सिंह, डब्ल्यू एम
8. दादरी राम, टी टी ए
9. एम एल चांदना, ए ई
10. वी के सहगल, एस डी ओ पी
11. एस एस मिश्रा, टी ओ
12. अनिल अग्रवाल, तकनीशियन
13. ए के राय, आर/एम

एम टी एन एल, मुंबई

1. के० एम० अल्वा, एस डी ई
2. एस एम चौरसिया, फोन मेकेनिक
3. ए० आर० गावडे, वायरमेन
4. आर के शेट्टी, तकनीशियन

विदेशों में हिन्दुओं द्वारा शव-दाह

2782. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के किस-किस देश में हिन्दुओं को शव-दाह की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शव-दाह अनिवार्य है और उन्हें इस अधिकार का प्रयोग न करने देने का अर्थ हिन्दुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उन देशों की सरकारों से हिन्दुओं को शव-दाह की अनुमति दिलाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) सउदी अरब, कतर, जोर्डन, कुवेत, सेनेगल, गाम्बिया, माली, ट्यूनीशिया, इस्तानबुल, मारितानिया, केप वर्डे द्वीप, गिनी बिताउ, यूनान, मालदीव, इस्राइल, लीबया, बुरकीना फासो तथा माल्टा में शवों के दाह-संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) जी नहीं। उपर्युक्त देशों में मृतक के सबसे निकट के संबंधी, अगर वे चाहें तो शवों को या तो सबसे निकट के देश, जहां दाह-संस्कार की अनुमति है, में ले जा सकते हैं या दाह-संस्कार के लिए गृह देश ले जा सकते हैं। हालांकि उपर्युक्त किसी भी देश में दफनाने पर प्रतिबंध नहीं है।

(ग) इन देशों में, संबद्ध अधिकारियों के साथ जब यह बात उठाई गई, तो उनमें से कुछ ने हमारा अनुरोध मानने में असमर्थ होने के लिए औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है क्योंकि इससे उनके अपने उन कानूनों प्रथाओं तथा औपचारिक विधिक मत (फतवा) का उल्लंघन होता है, जिसके अन्तर्गत शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ दफनाने द्वारा ही निर्धारित है। हालांकि यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस आधार पर हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है तथा ये नियम अन्य देशों के राष्ट्रिकों या अन्य धर्म को मानने वालों पर भी लागू होता है।

Procurement of Turbo-Generating sets for Sardar Sarovar Project

2783. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non availability of OECF loan for procurement of Turbo-Generating sets for River Bed Power House of the Sardar Sarovar Project is being delayed;

(b) if so, whether alternatives are being considered by the Union Government;

(c) whether Government are aware that a stalemate is created with regard to non-availability of OECF loan and non-operating of Letter of Credit with M/s. Sumitomo Corporation, Japan; and

(d) if so, the action being taken or proposed by Government to resolve the stalemate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) In the 7th meeting of the Review Committee for Narmada Control Authority (RCNCA) held on 13th